आवेदन पत्र का मूल्य रू.२०/-

तरणताल के इच्छुक सदस्यों के नवीनतम छायाचित्र स्टेपिल करें।

आवेदन पत्र

(तरणताल/स्वीमिंग पुल की सदस्यता हेतु)

प्रति,

सचिव,
ज्योति क्लब, रामपुर,
जबलपुर

महोदय,

निवेदन है कि मैं निर्धारित नियमों के अंतर्गत अपने परिवार के निम्नलिखित सदस्यों हेतु तरणताल की सदस्यता प्राप्त करना चाहता हूँ/चाहती हूँ । मेरे एवं परिवार के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. आवेदक का नाम : ....
2. आवेदक का पद/व्यवसाय : ....
3. आवेदक का पता :

निवास :	कार्यालय : ....
....	....
....	....
फोन : .... मोबाईल :	फोन : .... मोबाईलः ....

4. आवेदक की स्थिति (कृपया किसी एक पर सही (√) का निशान अंकित करें)

उत्तरवर्ती कंपनी के अधिकारी/कर्मचारी	केन्द्र शासन/राज्य शासन के अधिकारी	अन्य
( )	( )	( )

5. परिवार के सदस्यों का विवरण, जिनके लिए तरणताल की सदस्यता चाही गई है:-

क्रमांक	नाम	पुरूष/स्त्री	जन्म तिथि	आवेदक से संबंध	प्रातः/सायं समय	सदस्यता अवधि 6/3/1 माह
1.	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....
3.	....	....	....	....	....	....
4.	....	....	....	....	....	....
5.	....	....	....	....	....	....

स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निर्देशः परिवार के उपरोक्त सभी सदस्यों के लिए, एक ही आवेदन के साथ, निर्धारित प्रपत्र में स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र अलग-अलग प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। **सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।**

सत्यापन/घोषणा

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मेरे एवं परिवार के सदस्यों के संबंध में उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य हैं। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने आवेदन पत्र के साथ संलग्न ज्योति क्लब प्रबंधन द्वारा बनाये गये सभी नियमों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है तथा मैं उन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा/करूंगी, एवं तरणताल में तैरते समय मेरे साथ यदि कोई दुर्घटना होने पर मैं स्वयं उसके लिये उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी। दुर्घटना के संबंध में विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों अथवा ज्योति क्लब प्रबंधन किसी भी प्रकार से जवाबदार नहीं होगा। दुर्घटना के होने पर उत्तरवर्ती कंपनियों एवं ज्योति क्लब प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

संलग्नः स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र

दिनांकः हस्ताक्षर आवेदक

कृपया संलग्न नियमावली व शर्तों का अध्ययन करें।

तैराकी हेतु समय सारणी एवं स्वीमिंग पूल के लिए निर्धारित शुल्क की दरों का विवरण पीछे अंकित है।

शुल्क विवरण

शुल्क का भुगतान चैक से स्वीकार किया जावेगा।
चैक
सचिव, ज्योति क्लब, जबलपुर
के नाम पर देय होगा।

	श्रेणी	प्रोसेसिंग शुल्क	पंजीयन शुल्क (*)	मासिक	त्रैमासिक	पूर्ण सत्र (6 माह)
अ.	मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु	50/	100/	700/	1800/	3000/
ब.	केन्द्र/राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु	50/	100/	1600/	4100/	6700/
स.	उपर्यक्त दोनों के अतिरिक्त अन्य हेतु	50/	100/	2300/	5900/	9700/

नोटः 1. (*) पंजीयन शुल्क रू.100/ केवल नये सदस्यों द्वारा देय होगा। पंजीयन शुल्क में छूट पाने हेतु ज्योति क्लब द्वारा तरण ताल के लिए पूर्व में जारी परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

२. परिचय पत्र गुम जाने अथवा क्षतिग्रस्त होने की दशा में नवीन परिचय पत्र हेतु पुनः रू. 100/ अदा करना होगा। स्वीमिंग पूल में तैराकी हेतु परिचय पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर स्वीमिंग पूल में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

3. सभी श्रेणी के सदस्यों के साथ उनके अतिथि सदस्यों को रूपये 100/ प्रति घंटे शुल्क (नगद) जमा करने पर तरणताल में प्रवेश की पात्रता होगी। अतिथि सदस्य के लिए पृथक से परिचय पत्र जारी नहीं किया जावेगा। इस हेतु राशि जमा कर रसीद प्राप्त करें। जारी की गई रसीद किसी भी समय मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। रसीद प्रस्तुत नहीं करने की दशा में अतिथि सदस्य को तैराकी हेतु स्वीमिंग पूल में प्रवेश से रोका जा सकेगा। इस हेतु तैराक सदस्य/अतिथि सदस्य किसी भी प्रकार का विवाद निर्मित नहीं कर सकेंगे।

4. उत्तरवर्ती कंपनियों के अधिकारी/कर्मचारियों के परिवार, जिसमें पति, पत्नि एवं बच्चों के अतिरिक्त अधिकतम दो संबंधियों को "ब" श्रेणी के समकक्ष माना जावेगा।

समय सारणी

(वांछित समय के सामने सही (√) का निशान अंकित करें तथा आवेदन के स.क्र. 5 में स्पष्ट उल्लेख करें।)

प्रातः कालीन पाली	सायं कालीन पाली
6 से 7 बजे – महिला वर्ग	4.30 से 5.30 बजे – महिला वर्ग
7 से 8 बजे – महिला वर्ग	5.30 से 6.30 बजे – महिला वर्ग
8 से 9 बजे – पुरूष वर्ग	6.30 से 7.30 बजे – पुरूष वर्ग
9 से 10 बजे – पुरूष वर्ग	7.30 से 8.30 बजे – पुरूष वर्ग

शारीरिक उपयुक्तता के लिए आवेदन एवं आवेदक द्वारा घोषणा

(A) Application cum Declaration as to Physical Fitness by Applicant

1. Full Name of the Applicant ....
आवेदक का नाम

2. Son/Wife/Daughter of ....
पुत्र/पुत्री/पत्नी

3. Permanent Address ....
स्थायी पता ....

4. Temporary Address ....
अस्थायी पता ....

5. Official Address (If any) ....
कार्यालयीन पता (यदि हो तो) ....

5. Date of Birth [|] - [|] 20 [|]
Age on date of Application....................years
जन्मतिथि आवेदन की तिथि को आयु वर्ष

6. Identification Marks 1. ....
पहचान चिन्ह

7. T/+ Book No. J..................................or.....JR......................................

(B) घोषणा **Declaration as to Physical Fitness is to be given by the applicant**

1. क्या आप अपस्मार या बेहोशी के अचानक दौरे या किसी कारण से सिर के चक्कर से पीड़ित है ? Yes/No
Do you suffer from epilepsy, or from sudden attack or loss of conciousness or giddiness or giddiness from any cause ?

2. क्या आप प्रत्येक आँख से विभेद करने में समर्थ हैं (एक आँख से 25 मीटर की दूरी पर दिन की अच्छी रोशनी में चश्मा लगाते हैं, तो उसे पहनकर) देख सकते हैं ? Yes/No
Are you able to dinstinguish with each eye or one eye, at a distance of 25 meters in good day light (with glasses, if worn)

3. क्या आप दोनों में से कोई हाथ या पैर खो चुके हैं या क्या आपकी बाहों या पैरों में किसी के संचालन, नियंत्रण या मांसपेशियों की शक्ति में कोई कमी है Yes/ No
Have you last either hand or foot or you are suffering from any defect in movement control or muscular power of either arm or leg ?

4. क्या आप श्वास की बीमारी से पीड़ित है?
5. क्या आप उच्च रक्तचाप/मधुमेह/हृदय रोग से पीड़ित हैं ?
6. क्या आप इतने बधिर है कि सामान्य ध्वनि संकेत सुन पाने में असमर्थ हैं ? Yes/No

   Are you so deaf as to unable to hear (and if the application is for driving a light motor vehicle with or without hearing aid) the ordinary sound signal?
7. क्या आप किसी अन्य रोग या निःशक्तता से पीड़ित हैं? यदि ऐसा है तो ब्यौरा दें । Yes/No

   Do you suffering from any other disease or a disability? If so, give details.

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई विशिष्टियाँ और इसमें की गई घोषणा सही है।

I here by declare that to the best of my knowledge and belief the particulars given above are true.

स्थान : Place.................................. अभिभावक के हस्ताक्षर आवेदक के हस्ताक्षर

दिनाँक Date.................................. Signature of Guardian Signature of the Applicant

(C) Examination Findings..

....

....

(D) Opinion..

....

....

Signature of Doctor

ज्योति क्लब
मध्य प्रदेश विद्युत परिवार, जबलपुर

तरणताल के नियम

१. प्रत्येक तैराक को तरणताल में प्रवेश करने के पूर्व अच्छी तरह से शाँवर लेना होगा ।
२. तरणताल में स्वीमिंग परिधान पहनकर ही प्रवेश करें।
३. महिलाओं एवं सिक्खों जिनके बाल बड़े हैं उन्हें स्वीमिंग कैप का उपयोग करना अनिवार्य है।
४. किसी भी व्यक्ति को तरणताल के डेक पर पैदल घूमना एवं जूते-चप्पल पहनकर घूमना वर्जित है।
५. तैराक को तरणताल में स्वीमिंग के अलावा अन्य खेल खेलना एवं आपस में धक्का-मुक्की करना वर्जित है।
६. पांच (५) वर्ष से कम उम्र के बच्चों का तरणताल में प्रवेश वर्जित है।
७. तरणताल के सदस्य उन्हें आबंटित निर्धारित समय में ही तरण ताल का उपयोग करेंगे।
८. तरणताल का उपयोग केवल सदस्यता कार्डधारी ही करें, तरणताल का सदस्यता कार्ड लाना अनिवार्य है।
९. प्रत्येक तैराक के नाखून साफ एवं व्यवस्थित रूप से कटे होना चाहिए।
१०. तरणताल में पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली साथ में लाना वर्जित है।
११. तैराक शरीर पर चिकनी वस्तु जैसे तेल, क्रीम इत्यादि का उपयोग तरणताल में तैरने के दौरान न करें।
१२. तैराक को यदि चोट, चर्मरोग इत्यादि हो तो तरणताल में प्रवेश करना निषेध है।
१३. धूम्रपान-मद्यपान और अन्य किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन करके तरणताल में प्रवेश करना सख्त मना है।
१४. सदस्यगण अपने साथ तरणताल में किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ न लायें।
१५. सदस्यगण तरणताल में अंडरवाटर एवं अधिक गहराई में प्रशिक्षक की अनुमति के बिना नहीं जायेंगे।
१६. तरणताल में डूबने जैसी नकल या अन्य किसी प्रकार का मज़ाक न करें।
१७. तरणताल में उपस्थित प्रशिक्षक की अनुमति लेकर ही डाइव एवं स्वीमिंग करें।

नोटः-

१. तरणताल के माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उपरोक्त नियमों का पालन अनिवार्य है अन्यथा सदस्यता निलंबित अथवा समाप्त की जा सकती है।
२. सदस्यगण तरणताल में अपनी सदस्यता संबंधी कार्ड सुरक्षित रखें तथा प्रशिक्षक एवं ज्योति क्लब प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा मांगे जाने पर तत्काल प्रस्तुत करें।
३. **स्वीमिंग पूल की शुल्क माह की पहली तारीख को अवश्य जमा कर दें। नवीनीकरण की पुष्टि अवश्य करावें। पुष्टि स्पष्ट नहीं पाये जाने पर पात्रता अवैध मानते हुए सदस्य को स्वीमिंग पूल के उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी।**
४. **माह के मध्य से सदस्यता ग्रहण करने की दशा में महिने का पूरा शुल्क भुगतान किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक माह केलेन्डर माह मान्य होगा।**

आदेशानुसार
सचिव
ज्योति क्लब, जबलपुर

ज्योति क्लब, मध्य प्रदेश विद्युत परिवार, जबलपुर
स्वीमिंग पूल नियमावली

१. स्वीमिंग पूल ज्योति क्लब कार्यकारिणी की अनुमति से प्रवेश शुल्क जमा कर मण्डल/कंपनी के ऐसे प्रत्येक सेवारत/सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी तथा जबलपुर में निवासरत उनके परिवार के सदस्य स्वीमिंग पूल के सदस्य बन सकते हैं। विद्युत मण्डल परिसर में निवास करने वाले अन्य आवेदकों को भी ज्योति क्लब प्रबंधन की अनुमति से तरण ताल की सदस्यता प्राप्त करने की पात्रता है। सदस्य को कार्ड जारी किया जावेगा जो कि तरणताल के उपयोग हेतु प्रतिदिन लाना होगा।

२. ज्योति क्लब संचालन समिति ही स्वीमिंग पूल की कार्यकारी समिति होगी। कार्यकारी समिति, ज्योति क्लब के सचिव के माध्यम से कार्य करेगी। स्वीमिंग पूल की कार्यकारी समिति द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सभी सदस्यों को करना होगा।

३. दो तैराक प्रशिक्षकों की नियुक्ति तरणताल हेतु की गई है जो तैराकी के दौरान तरणताल में उपलब्ध रहेंगे।

४. तैराक प्रशिक्षक की अनुपस्थिति में किसी भी स्थिति में तरणताल के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

५. तरणताल वर्तमान सत्र में मात्र ऐसे सदस्यों के लिए खोला जावेगा जो नियमित तैराक होंगे एवं उक्त संबंध में लिखित घोषणा ज्योति क्लब प्रबंधन को प्रस्तुत करेंगे।

६. स्नान की अवधि में तथा स्वीमिंग पूल परिसर में किसी भी दुर्घटना के लिए विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों एवं ज्योति क्लब प्रबंधन उत्तरदायी नहीं होगा।

७. तरणताल में प्रवेश संबंधी अधिकार, ज्योति क्लब प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा।

८. स्वीमिंग पूल के उपयोग हेतू अनुमति प्रदान करने या अस्वीकृत करने के संबंध में, ज्योति क्लब प्रबंधन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

९. ज्योति क्लब प्रबंधन कार्यकारी समिति को किसी भी सदस्य की सदस्यता किसी भी समय बिना कारण बताये निलंबित करने का अधिकार होगा। निलंबित सदस्य इसके विरूद्ध अध्यक्ष, ज्योति क्लब से अपील कर सकेगा। अध्यक्ष ज्योति क्लब द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही कोई निलंबित सदस्य स्वीमिंगपूल के सदस्य के रूप में पुनः पंजीकृत हो सकेगा

१०. निर्धारित स्नान परिधान में नहीं आने पर किसी भी सदस्य को स्वीमिंग पूल में स्नान हेतू प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

११. प्रत्येक बैच हेतु स्नान अवधि १ घंट्टा होगी।

१२. प्राथमिक चिकित्सा किट, जीवन-रक्षक उपकरण जैसे लाईफ सेवर जैकेट, किक बोर्ड आदि सामग्री तैराकी प्रशिक्षक की देख-रेख में रहेगी।

१३. आर्मस् टयूब एवं स्वीमिंग कैप, कान के बिड्स, स्वीमिंग हेतु चश्मा आदि तैराक को स्वयं लाना होगा।

१४. तरणताल में १२ वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों के साथ उनके पालकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अविभावक साथ में न रहने की दशा में तैराक सदस्य को स्वीमिंग पूल में जाने से मना किया जा सकेगा।

१५. तरणताल की गहराई को ध्यान में रखते हुए तरणताल में दौड़कर या डाइव लगाकर कूदने पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा।

१६. तरणताल की नाप को दृष्टिगत रखते हुए एक बैच में 25 से अधिक सदस्यों को तैरने की अनुमति नहीं होगी एवं यदि उक्त संख्या से अधिक सदस्य पंजीकृत होंगे तो उनमें से कुछ सदस्यों को ज्योति क्लब प्रबंधन द्वारा अन्य बैचों में स्थानांतरित किया जावेगा। उक्त संबंध में ज्योति क्लब प्रबंधन का निर्णय अंतिम रूप से स्वीकार्य होगा।

१७. तरणताल में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में व्यौरा तैराक/गैर-तैराक सहित आवक-जावक रजिस्टर में दर्ज कराना अनिवार्य है।

१८. तरणताल साफ-सफाई हेतू शुक्रवार को बंद रहेगा।

१९. स्वीमिंग पूल के सदस्यों की सूची संबंधित सदस्य के स्वास्थ्य सत्यापन हेतु मण्डल चिकित्सालय भेजी जायेगी।

२०. अत्यावश्यक सेवाओं के दूरभाष/मोबाइल नंबर तरणताल के सूचना पटल पर उपलब्ध रहेंगे।

२१. पुरूष एवं महिला सदस्य तरणताल में पृथकतः निर्धारित प्रसाधन स्थल का उपयोग करेंगे।

२२. तरणताल में महिलाओं/बालिकाओं हेतु निर्धारित समय में 10 वर्ष से अधिक आयु के बालक/सदस्य का प्रवेश वर्जित है।

२३. तरण ताल में पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध होगा, सदस्यगण स्वच्छता बनाये रखने में पूर्ण सहयोग बनाये रखेंगे।

२४. तरणताल के पानी की गुणवत्ता को सिविल संभाग-एक द्वारा मेन्टेन किया जायेगा ।

२५. नियमावली में समयानुसार आवश्यकतानुसार संशोधन ज्योति क्लब प्रबंधन द्वारा किया जावेगा। तरणताल में प्रयुक्त होने वाले पानी की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जावेगा एवं गुणवत्ता के संबंध में कार्यपालन अभियंता, सिविल संभाग-एक, समय-समय पर पानी की गुणवत्ता संबंधी जांच करवायेंगे एवं जांच से संबंधित रिकार्ड रखा जावेगा, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जावेगा।

२६. उक्त सुविधा/व्यवस्था के बावजूद यदि तरणताल में किसी कारणवश कोई दुर्घटना हो जाती है तो उक्त संबंध में विद्युत मण्डल एवं ज्योति क्लब प्रबंधन एवं प्रशिक्षकगण किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे और न ही किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति देय होगी।

आदेशानुसार
सचिव,
ज्योति क्लब, जबलपुर